भा0द0सं0 की महत्वपूर्ण धारायें

धारा–22, चल सम्पत्ति–भूमि और भूमि से स्थायी रुप से जकड़ी हुई को छोड़कर प्रत्येक प्रकार की मूर्त सम्पत्ति चल सम्पत्ति है।

धारा–24, बेईमानी से –जो कोई इस आशय से कार्य करता है कि एक व्यक्ति को सदोष लाभ या अन्य व्यक्ति को सदोष हानि कारित करें, वह उस कार्य को बेईमानी से करता है।

धारा–34, जब कोई आपराधिक कार्य साममान्य आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों द्वारा किया जाता है,तब प्रत्येक व्यक्ति के बारे में यह माना जायेगा कि जैसे–वह कार्य अकेले उसीने किया है।

धारा–52, सद्भावपूर्वक–कोई कार्य सद्भावपूर्वक किया गया माना जायेगा जब वह उचित सावधानी और सतर्कता के साथ किया जाता है।

धारा–82, कोई बात अपराध नही है जो सात वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा की जाती है।

धारा–83, सात वर्ष से ऊपर किन्तु 12 वर्ष से कम आयु के अपरिपक्व समझ के शिशु का कार्य अपराध नही है।

धारा–84, विकृत चित्त व्यक्ति का कार्य अपराध नही है जो कार्य करते समय चित्त विकृति के अधीन हो।

धारा–85, नशे में किया गया कार्य अपराध नही है यदि वह चीज जिससे नशा हुआ था, उसको अपने ज्ञान के बिना या इच्छा के विरुद्ध दी गई थी।

धारा–96, कोई बात अपराध नही है जो प्राईवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में की जाती है।

धारा–97, प्राईवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का तात्पर्य किसी अपराध के विरुद्ध अपने एवं अन्य के शरीर अथवा सम्पत्ति की प्रतिरक्षा करना।

धारा–146, बलवा–जब किसी विधि विरुद्ध जमाव द्वारा या उसके किसी सदस्य द्वारा जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है, तब ऐसे जमाव का हर सदस्य बलवा करने के अपराध का दोषी होगा।

धारा–147, जो कोई बलवा करने का दोषी होगा–दो वर्ष तक कारावास

धारा–149, सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में विधि विरुद्ध जमाव के किसी सदस्य द्वारा किये गये अपराध के लिये प्रत्येक व्यक्ति उस अपराध का दोषी होगा।

धारा–159, दंगा–जब दो या अधिक व्यक्ति लोक स्थान में लड़कर लोक शान्ति में विध्न डालते हैं,तब यह कहा जाता है कि वे दंगा करते हैं।

धारा–160, **जो कोई दंगा करेगा**–एक माह तक कारावास

धारा–182, लोक सेवक को मिथ्या सूचना देना– जो कोई लोक सेवक को मिथ्या सूचना देगा कि लोक सेवक अपनी शक्ति का उपयोग दूसरे व्यक्ति को क्षति करने के लिये करे– 6 माह तक कारावास

धारा–201, सबूत को गायब करना या मिथ्या सूचना देना– जो कोई यह जानते हुये कि कोई अपराध किया गया है,उससे संबन्धित साक्ष्य का विलोप करेगा अथवा मिथ्या सूचना देगा ताकि अपराधी को वैध दंड से बचाया जाय।

धारा–272, विकय के लिये आशयित खाद्य या पेय का जो कोई अपमिश्रण करेगा जिससे वह अपायकर बन जाये– आजीवन कारावास

धारा–273, अपायकर खाद्य या पेय को बेचना या बेचने का प्रस्ताव करना या अभिदर्शित करना– आजीवन कारावास

धारा–279, लोक मार्ग पर उतावलेपन या लापरवाही से वाहन चलाना या हांकना– 6 माह तक कारावास

धारा–294, लोकस्थान में या उसके समीप अश्लील कार्य करना या अश्लील गाने गाना,जिससे दूसरों को क्षोभ होता हो– 3 माह तक कारावास

धारा–295, किसी वर्ग के धर्म का अपमान करने के आशय से किसी पूजा के स्थान को या किसी पवित्र वस्तु को नष्ट,नुकसान ग्रस्त या अपवित्र करना– 2 वर्ष तक कारावास

धारा–295(क), धार्मिक भावनाओं को आहत करने के विद्वेषपूर्ण आशय से लिखित या मौखिक शब्दों,संकेतो या दृश्यरूपणों द्वारा धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करना– 3 वर्ष तक कारावास

धारा–353, लोक सेवक को अपने कर्त्तव्य पालन से रोकने या डराने के लिये हमला या आपराधिक बल का प्रयोग– 2 वर्ष तक कारावास

धारा–354, जो कोई किसी स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से या ज्ञान से उस स्त्री पर हमला करेगा या आपराधिक बल का प्रयोग करेगा– 2 वर्ष तक कारावास

धारा–361, व्यपहरण(kidnapping)–जो कोई 16 वर्ष से कम आयु वाले नर को,या 18 वर्ष से कम आयु वाली नारी को या पागल व्यक्ति को,विधिपूर्ण संरक्षता से उसके संरक्षक की सम्मति के बिना ले जाता है या बहका ले जाता है, वह व्यपहरण करता है।

धारा–362, अपहरण (Abduction)– जो कोई किसी व्यक्ति को किसी स्थान से जाने के लिये बल द्वारा विवश करता है,या प्रवंचनापूर्ण उपायों द्वारा उत्प्रेरित करता है,वह उस व्यक्ति का अपहरण करता है।

धारा–363, जो कोई किसी व्यक्ति का व्यपहरण करेगा–7 वर्ष तक कारावास

धारा–364, हत्या करने के लिये व्यपहरण या अपहरण– आजीवन कारावास

धारा–364(A), फिरोती आदि के लिये व्यपहरण या अपहरण–मृत्यु या आजीवन कारावास

धारा–366, विवाह को विवश करने अथवा अयुक्त संभोग करने को विवश किये जाने के लिये किसी स्त्री का व्यपहरण या अपहरण– 10 वर्ष तक कारावास

धारा–375, बलात्कार(Rape) कि परिभाषा

धारा–376, बलात्कार का दंड– जो कोई बलात्कार करेगा–आजीवन कारावास

धारा–377, प्रकृति विरूद्ध अपराध–जो कोई किसी पुरूष,स्त्री या जीव जन्तु के साथ प्रकृति की व्यवस्था के विरूद्ध स्वेच्छया इन्द्रिय भोग करेगा– आजीवन कारावास तक

धारा–405, आपराधिक न्यास भंग की परिभाषा

धारा–406, जो कोई आपराधिक न्यास भंग करेगा– 3 वर्ष तक कारावास

धारा–409, लोक सेवक,बैंकर,व्यापारी या ऐजेन्ट द्वारा आपराधिक न्यास भंग– आजीवन कारावास तक

धारा–415, छल(Cheating)– छल की परिभाषा–असत्य को सत्य के रूप मे प्रस्तुत करना और दूसरे व्यक्ति द्वारा उस पर विश्वास करके कोई कार्य करना जो कि वह सत्य का पता होने पर न करता ।

धारा–420, छल करके किसी व्यक्ति को बेईमानी से सम्पत्ति परिदत्त करने के लिये उत्प्रेरित करना– 7 वर्ष तक कारावास

धारा–435, अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिष्टि(नुकसान)– 7 वर्ष तक कारावास

धारा–436, मकान आदि को नष्ट करने के आशय से अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिष्टि– आजीवन कारावास

धारा–452, उपहति,हमला या सदोष,अवरोध की तैयारी के पश्चात गृह अतिचार– 7 वर्ष तक कारावास

धारा–457, कारावास से दंडनीय अपराध करने के लिये रात्रि प्रच्छन्न गृह अतिचार या रात्रि गृह भेदन– 5 वर्ष तक कारावास,यदि वह अपराध जिसका किया जाना चोरी हो तो –14 वर्ष तक कारावास

धारा–504, जो कोई लोक शान्ति भंग कराने को प्रकोपित करने के आशय से किसी व्यक्ति को साशय अपमानित करेगा– 2 वर्ष तक

धारा–506, जो कोई आपराधिक अभित्रास(धमकी देना)का अपराध करेगा– 2 वर्ष तक कारावास,किन्तु यदि धमकी मृत्यु या घोर उपहति इत्यादि कारित करने की हो तो **7 वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जा सकेगा।**

धारा–511,अपराधों को करने के प्रयत्न करने के लिये दंड– उस अपराध के अधिकतम दंड से आधे तक का कारावास